Mr. Deputy-Speaker : So, the Mover, Government and others also are agreed that the Bill should be referred to the Select Committee. Now may I know the reaction of the hon. Member ?

Shri Keshavaiengar : In view of the observations made, I do not press it.

Mr. Deputy-Speaker : The question is:

"That the Bill be referred to a Select Committee consisting of Shri Hari Vinayak Pataskar, Dr. Ram Subhag Singh, Shri Tribhuan Narayan Singh, Shri Ganesh Sadashiv Altekar, Shri Narhar Vishnu Gadgil, Shri Nemi Chandra Kasliwal, Shri Bhagwat Jha Azad, Shri Abdus Sattar, Shri Balkrishna Sharma, Shri Kamakhya Prasad Tripathi, Dr. Shaukatullah Shah Ansari, Shri A. M. Thomas, Shri Feroze Gandhi, Shri R. Venkataraman, Shrimati Subhadra Joshi, Shri Radhelal Vyas, Shri Paidi Lakshmayya, Shri Tekur Subrahmanyam, Shri Shankar Shantaram More, Shri Jaipal Singh, Shrimati Renu Chakravartty, Shri K. Ananda Nambiar, Shri Amjad Ali, Shri K. S. Raghavachari, Shri Bhawani Singh, Dr. A. Krishnaswami, Shri N. C. Chatterjee, Shri A. E. T. Barrow, Shri Fulsinhji B. Dabhi, and the Mover with instructions to report by the 1st May 1956."

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker : So, the Bill is referred to the Select Committee.

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 429)

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गाव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तजवीज करता हूं कि इंडियन पैनेल कोड (अमेंडमेंट) बिल, अमेंडमेंट आफ सेक्शन 429, को यह हाउस कंसिडर (विचार) करे :

"That the Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860, be taken into consideration."

यह इतना छोटा सा बिल है और इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अमेंडमेंट (स्वयं व्याख्यात्मक संशोधन) है और वह इतना साफ़ है कि उसके मुताल्लिक बहुत ज्यादा वजूहात देने की जरूरत नहीं है। तो भी चूंकि दफा ४२१ ऐसी दफा है जो कि आम तौर पर काम में नहीं आती है इस वजह से बहुत से लोगों को गालिबन् यह पता नहीं होगा कि यह बिल है क्या और किस गरज़ से यह लाया गया है ।

जनाबवाला, इंडियन पैनेल कोड में ४५२ दफा जो मिस्चिफ (कुचेष्टा) के बारे में है वह इस तरीके पर है :

"Whoever, with intent to cause, or knowing that he is likely to cause, wrongful loss or damage to the public or to any person, causes the destruction of any property, or any such change in any property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility, or affects it injuriously, commits 'mischief'."

इसके साथ दो एक्सप्लेनेशंस (व्याख्याएं) हैं जिनकी कि तरफ में जनाब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और वह यह हैं :

"It is not essential to the offence of mischief that the offender should intend to cause loss or damage to the owner of the property injured or destroyed. It is sufficient if he intends to cause or knows that he is likely to cause, wrongful loss or damage to any person by injuring any property, whether it belongs to that person or not".

इससे जो अगला हिस्सा है वह इससे भी ज्यादा साफ है और वह इस तरह पर है :

"Mischief may be committed by an act affecting property belonging to the person who commits the act, or to that person and others jointly."

5 P.M.

इसका साफ मतलब यह हो गया कि कोई भी शख्स ख्वाह इस फेल को करने वाला उस जायदाद का मालिक हो या न हो, मिसचिफ करने वाला माना जा सकता है, चुनांचे इसके नीचे ज्वाइंट ओनरशिप (संयुक्त स्वामित्व) की रैस्ट्रिक्शन (प्रतिबन्ध) भी दी हुई है । मिसचिफ का जुर्म साबित करने के वास्ते तीन चीजें जरूरी है। सब से पहले इंटेंशन (इरादा) का होना जरूरी है, उसकी इंटेंशन यह हुई : to cause wrongful loss or damage to the public or to any person. जो यहां पर लफ्ज़

टू एनी परसन है तो उसकी ज़ात से किसी आदमी का सवाल ही नहीं है । अगर वह इनवाल्वड (शामिल) हो, अगर कोई शख्स पब्लिक (जनता) की तारीफ में आ सकें, अगर उसको भी कोई शख्स नुकसान पहुचाये तब भी वह शख्स मुजरिम बन जाता है । पब्लिक की तारीफ आपको मालूम ही है :

Portion of the public is also public, according to the definition of the Indian Penal Code.

जिस के मानी यह हैं कि उसका इरादा पब्लिक के किसी हिस्से को या किसी परसन को नुकसान पहुंचाने का हो या उसको महज़ इल्म हो, इरादा न हो कि ऐसा फेल करने से किसी को नुकसान पहुंचेगा, पब्लिक को या उसको तो वह मुस्तहिक हो जाता है दफा ४२५ का ।

जिस सैक्शन की मैं तरमीम चाहता हूं उसकी तरफ में आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं । सैक्शन इस तरह से है :

"Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless, any elephant, camel, horse, mule, buffalo, bull, cow or ox, whatever may be the value thereof, or any other animal of the value of fifty rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both."

इसके साथ जो मैं लिखवाना चाहता हूं वह सिर्फ इस कद्र है । मैं उस सैक्शन को छूना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ एक प्राविजो (परंतुक) ऐड (जोड़ना) करवाना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

"Provided that the offender under this section shall be presumed to have possessed the intention to cause or the knowledge that he was likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any person.".

आई० पी० सी० में दफा २३ में रांगफुल लास (दोषावह हानि) और रांगफुल गेन (दोषावह लाभ) की जो तारीफ दी हुई है, वह इस तरह है :

"'Wrongful gain' is gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled."

मैं अदब से गुज़ारिश करना चाहता हूं कि जुर्म करने के वास्ते जो उसने एक्ट (कार्यवाही) करना है वह किसी जानवर को जिस का इसमें जिक्र है, हाथी, ऊंट वगैरह, इन जानवारों का killing, maiming or poisoning or in nay other manner, करना है या उनको नुकसान पहुंचाना है, जिससे कि उनकी या उनमें से किसी की युटीलिटी (उपयोगिता) खत्म हो जाए । जहां तक इन जानवरों का सवाल है, यह साफ है कि जो जिस जानवर का मालिक है, उसके इलावा भी जानवर एक ऐसी चीज है जो मालिक में या गैर मालिक में तमीज नहीं करता है, पब्लिक के फायदे की चीज है । चाहे मालिक चाहे या न चाहे, वह रहती पब्लिक के फायदे की ही चीज है । वह हर एक के काम आता है । पब्लिक के फायदे की यह चीज इस लिए भी है कि जो उसका मालिक है वह उसे बेच सकता है, खुद इस्तेमाल कर सकता है, उसको वह हायर (किराए) पर ले सकता है, किसी दूसरे को दे देता है, किसी तरह से भी देखा जाए वह रहती पब्लिक के फायदे की ही चीज है । इस लिए पब्लिक इंटरेस्ट (जन हित) में इन जानवरों को कंसर्व (रक्षण) किया जाना जरूरी है । आप देखें तो आपको मालूम होगा कि १८०७ में मैकाले साहब ने इन जानवरों के लिये एक कानून बनाया था । इतना ही नहीं, पब्लिक के फायदे के लिये एक और प्रिवेनशन आफ क्रूअल्टी टू एनिमल्ज़ एक्ट (पशु अत्याचार निरोधक अधिनियम) भी है । यह एक्ट भी उस कानून का एक तरह से पार्ट (भाग) है । मैं अर्ज करता हूं कि जहां तक इनसानी जिन्दगी है वह भी एक तरह से इन जानवरों की जिन्दगी है । साथ ही साथ जिन के पास यह जानवर होते हैं वे लोग इनसे इस कद्र प्यार करते हैं जिस तरह से कि वे अपने बच्चों से प्यार करते हैं और अपने बच्चों की तरह से उनको पालते हैं । हमारे मुल्क में जहां जानवरों की युटीलिटी की वजह से चाहे इन की इज्जत हो चाहे किसी और वजह से, लेकिन अमरीका में भी अगर किसी आदमी के पास एक घोड़ा हो, मेयर हो उसके साथ भी वह इतना प्यार करता है, इतनी मुहब्बत् करता है, जेसे कि वह उसकी फैमिली (परिवार) का एक पार्ट हो । जो कुत्ते की बात है गौर जिस कद्र फारेन कंट्रीज (विदेशों) में उसके साथ प्यार किया जाता है, वह तो आपको मालूम ही है । तो मैं अर्ज करता हूं कि जहां तक एनिमल लाइफ का ताल्लुक है, हमें यह कहना ही पड़ेगा कि एनिमल लाइफ (पशु जीवन) एक तरह से हमारी अपनी लाइफ का एक पार्ट है, एक इंटेग्रल (अभिन्न) पार्ट है और एनमिल से

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

सब से ज्यादा जो फायदा उठाता है, वह इनसान ही उठाता है । इसी चीज को देखते हुए आइ० पी० सी० में सैक्शन ४२८, ४२९ और ४३० वगैरह जोड़े गए हैं ।

अब इतना होते हुए भी सवाल उठता है कि जब इतना लम्बा चौड़ा कानून मौजुद है और इतने सैकशंस मौजुद हैं, तो मैं तरमीम क्या चाहता हूं और क्यों चाहता हूं । कानून को मैं हाथ नहीं लगाता । जो कानन बना है उससे मुझे कोई एतराज नहीं है, वह बहुत अच्छा कानून है। जानवारों की प्रोटेक्शन (संरक्षनता) का भी कानून मौजुद है । आपको मालम है कि इंडियन एविडेंस एक्ट (भारतीय साक्ष्य अधिनियम) की दफा ४ में इस चीज की डेफिनिशन (परिभाषा) दी हुई है कि प्रूफ (प्रमाण) किस की कहते हैं और डिसप्रूफ (अप्रमाण) किस को कहते हैं, किस के अन्दर प्रिजम्पशन (पूर्वधारणा) आ सकता है और किस के अन्दर प्रिजम्पशन नहीं आ सकता है । अब जो व्याख्या "प्रूफ" की रखी गई है और जो व्याख्या डिसप्रफकी रखी गयी है जो व्याख्या प्रिज्यूम की रखी गई है' और जो व्याख्या "शैल प्रिज्यूम" की रखी गई है, वह मैं आपकी इजाजत से पढकर सुनाना चाहता हूं । प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम के बारे में यह कहा गया है :

"Whenever it is provided in this Act that the Court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it.

Whenever it is directed by this Act that the Court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved."

कौन सा प्रूफ है, इसमें जाने की मुझे जरूरत नहीं है । मैं अर्ज करता हूं कि दफा ४ में प्रिज्यूम की अच्छी तरह से व्याख्या कर दी गई है ।

अब जो व्याख्या "प्रूव्ड" (सिद्ध) और "डिसप्रूव्ड" (असिद्ध) की की गई है वह इस प्रकार है :

"A fact is said to be proved, when, after considering the matters before it, the Court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists."

"A fact is said to be disproved, when, after considering the matters before it, the Court either believes that it does not exist or considers its existence so improbable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist."

मेरी अदब से गुजारिश है कि इस केस में आप किसे सामने रखना चाहते हैं । इस में सवाल यह पैदा होगा कि अगर इस प्राविजो को इस में जोड़ दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा । मैं अर्ज करता हूं कि इस एविडेंस एक्ट में दो तीन बातें ऐसी हैं जिन से कि यह एक्ट ओतप्रोत है । हम जानते हैं कि में प्रिज्यूम के वास्ते इस कानून में दफा ११४ रखी गई है । किसी चीज के अन्दर वाकयात को देखकर एक प्रूडेंट (सतर्क) आदमी क्या यकीन करेगा, इसको मैं आपके सामने एक इलस्ट्रेशन (मिसाल) के जरिये रखना चाहता हूं । जहां तक मे प्रिज्यूम का ताल्लुक है ज्यों ही एक मामला अदालत के सामने आता है अदालत अपने आप को एक प्रूडेंट मैन (सतर्क व्यक्ति) की हैसियत में रख कर उन वाकयात से नतीजा निकालती है और इसको प्रिज्यूम करती है कि फलां बात इस तरह से हुई है और फिर उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचती है । काज एन्ड इफेक्ट (कार्य और कारण) अपनी नेचर (प्रकृति) में उस तरह से इंटरट्वाइड (जुड़े हुए) हैं कि एक चीज से दूसरी चीज निकलती है, या दूसरा नतीजा निकलता है । इसके अलावा जो क्रिमिनल ला (आपराधिक विधि) का एक मुसल्लमा उसूल है वह यह है :

Every man is presumed to intend the natural consequences of his act.

अगर यह उसूल न हो तो सारा क्रिमिनल ला नीचे गिर पडेगा । मेरी गुजारिश यह है कि नैचुरल कांसिक्वेंसिस (स्वाभाविक परिणाम) जो एक एक्ट के होते है उनकी जद्द से वह निकल सकता है । मान लीजिये कि एक आदमी किसी को गोली मार देता है । उसको साबित करने के लिये वह कहता है कि मुझ से पीछे खड़े होकर मुझे ओवर-पावर कर लिया और मेरे हाथ से गोली चला दी । वह साबित कर सकता है कि मैं ने शराब पी ली थी या मुझे शराब पिला दी गयी थी, मुझे होश नहीं था में क्या करता, अन-साउंडनेस आफ माइड (मस्तिष्क विकार) भी कह सकता है, वह कह सकता है कि मैं ने ऐसी चीज देखी कि मैं पैशन में मर गया और साफ था कि मुझे यही फेल करना चाहिये था । वह

सेल्फ डिफेंस (आत्म रक्षा) की प्ली (दलील) भी ले सकता है । हालात के मुताबिक उसका गिल्ट (अपराध) जज हो जायेगा । अगर कोई शख्स किसी को मार दे तो कानून देखेगा कि आया इसका इरादा मारने का था या इसको इस बात का इल्म था कि उसके फेल का यह नतीजा होगा । अगर कोई बन्दूक चला दे और कोई आदमी मर जाये तो कानून यह प्रीज्यूम कर लेगा कि इसका इरादा या तो मारने का था या ऐसा फेल करने का था जिससे दूसरा आदमी मर जाये । तो मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी किसी हाथी को मार दे तो अदालत यह प्रीज्यूम कर लगी कि या तो इसका इरादा इस हाथी के मालिक को नुकसान पहुंचाना था या इसको यह यकीन था कि ऐसा करने से पब्लिक को नुकसान होगा । इसके साबित करने की जरूरत नहीं रहती। कोर्ट इसको एज्यूम कर लेती है। तो मैं यह आपसे कोई नई चीज नहीं कह रहा हूं ।

अभी थोड़ा अर्सा हुआ हमारे सामने अनटचेबिलिटी ऐक्ट (अस्पृस्यता निवारण अधिनियम) आया था और उसकी दफा १५ मे जिक्र था कि अगर कोई शख्स इस तरह का ऐक्ट करेगा तो कानन यह प्रीज्यूम करेगा कि उसका इरादा यह था कि अनटचेबिलीटी को आगे बढ़ाया जाये । इसका इटेंशन प्रीज्यूम कर लिया जायेगा कि दर अस्ल उसने अनटचेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए यह एक्ट किया । हाउस ने इस दफा को मंजुर किया । जब हालात ऐसे हों कि अगर कोई काम किसी दूसरे काम का लाजिमी जुज हो तो कोई वजह नहीं है कि दूसरा प्रीजम्पशन किया जाये और कानून उसको प्रोटेक्शन देता है कि अगर वह शख्स उसके बर्खिलाफ साबित कर सकता है तो वह जुर्मसे निकल सकता है । अगर मैं कनक्लूजिव प्रीजम्पशन (निश्चयात्मक धारणा) रखता तो ऐतराज हो सकता था । मैं ने तो रिबट्रेबिल प्रीजम्पशन (निराकरणीय धारणा) रखा है ।

कुछ अर्सा हुआ इस हाउस सें गोल्ड (सोने) के स्मगलिंग (तस्कर व्यापार) का झगड़ा आया था । उस ऐक्ट की एक दफा सें, जिसका नम्बर मुझे इस वक्त याद नहीं है, गुहा साहब ने इसी तरह की चीज हाउस के सामने रखी थी और उसे हाउस ने मंजूर कर लिया था क्योंकि हम जानते हैं कि स्मगलिंग और वह दूसरी चीज दोनों ऐसे मिले हुए हैं कि एक काम दूसरे का लाजिमी नतीजा है । इसी वजह से कानून में "शैल प्रिज्यम" रखा गया है । यानी जब एक चीज होगी तो दूसरी चीज जरूर होगी, जैसे कि मैं धुएं को देखकर यह कह दूं कि आग होना लाजिमी है । अगर किसी ने किसी जानवर को मार डाला है तो मैं कह सकता हूं कि मारने वाले की नीयत यह थी कि किसी को नुकसान पहुंचे ।

जनाब वाला को याद होगा, क्योंकि जनाब ही उस सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के चैयरमैन (सभापति) थे, जिसने कि रेलवे प्रापर्टी के कानून पर गौर किया था । उस कानून के बारे में मुझको ऐसा मालूम होता कि यह जरूरत से ज्यादा सख्त प्रीजम्पशन बनता है । उसमे ऐसा हो सकता था कि किसी आदमी नें रेलवे की चोरी न की हो पर उसके पास कोई ऐसी चीज पुश्तहापुश्त से चली आ रही हो पर उसके खिलाफ प्रीजम्पशन हो जाये । तो मुझे वह प्रीजम्पशन सख्त मालूम हुआ । लेकिन हमने उस कानून को पास किया । इसी तरह से हमने पोस्ट आफिस के मुताल्लिक भी कानून पास किया क्योंकि उस तरह का तार सिवाय पोस्ट आफिस के और किसी के लिये नहीं बनता है । हमने कहा ठीक है, हम प्रीजम्पशन कर लेंगे।

तो मैं ने तीन मिसालें आपको दी हैं । वे इस चीज के मुकाबले जो मैं आज अर्ज कर रहा हूं कमजोर हैं । यहां पर एक ऐसे जानवर को मारने का मामला है जो कि बील नहीं सकता, जो अपनी फरियाद नहीं कर सकता और जिसको कानून ने दफा ४२८ और ४२९ में प्रोटेक्शन दिया है। अगर किसी आदमी को मारा जाये तो इंजर्ड परसन (आहत व्यक्ति) सबसे पहला गवाह होता है, उसके रिश्तेदार गवाह होते हैं । यहां पर तो वह बेचारा जानवर न खुद गवाह हो सकता है और न उसके बीवी और बच्चे ही गवाह हो सकते हैं । अगर ऐसे बेजबान जानवर को, जो कि इन्सान की इतनी खिदमत करता है, कोई मारता है तो यकीनन वह किसी को या तो नुकसान पहुंचाने के लिये ऐसा करता है, या अपने किसी मफाद के लिये करता है, जैसे कि अगर कोई जानवर चोरी का माल हो और उसको मार दिया जाये । या हो सकता है कि किसी को ईजा पहुंचाने के लिये ऐसा किया गया हो । हमारी इंडियन सोसाइटी हजारहा बरस सें दुनिया भर सें इस बात के लिये मशहूर रही है कि वह तमाम जीवों पर दया करती है । हमने हजारहा बरस से इस उसूल को कल्टीवेट (पोषित) किया है कि सारे जीवों के साथ दया की जाय । हमको अपनी इस चीज को कायम रखना चाहिये । इसके लिये ऐक्ट तो मौजूद है, मैं उसको जरा वाजेह कर देना चाहता हूं कि जिस हालत में कोई शख्श ऐसा फैल करे

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

उसके वास्ते प्रीजम्पशन यह होना चाहिये कि फिलवाके इसका जो फेल है वह इस नीयत और इरादे से हुआ है । और मुलजिम को अख्तियार है कि वह साबित कर सके कि उसका ऐसा इरादा नहीं था और न उसे इस नतीजे का इल्म था । तो मैं अर्ज करूंगा कि जनाब किसी नुक्ते ख्याल से इसे देखें यह मुनासिब है । इस सिलसिले में मैं अपनी गुजारिश को पक्का करने के लिये ऐवीडेंस ऐक्ट में कुछ पढ़ देना चाहता हूं :

> "In cases in which a court 'shall presume' a fact, the presumption is not conclusive, but rebuttable. Of course there is no option left to the court, but it is bound to take fact as proved until evidence is given to disprove it and the party interested in disproving it must produce such evidence if he can. Presumption of this sort arises chiefly as follows : where from the nature of the case the truth of the thing presumed is in a high degree probable as for instance, the genuineness of a document purporting to be the Gazette of India, or of a duly signed record of evidence; or else when it is as for instance; a document called for and not produced....."

यही चीज मैं जनाब की खिदमत में अर्ज कर रहा था । मैं जनाब के तजर्बे को अपील करता हूं बतौर जज के और बतौर काउंसिल के । अगर कोई मामला किसी अदालत के सामने आता है तो उसमें यह "शैल प्रीज्यूम" भी खास हालात पर मुनहसिर होता है । जितना फायदा मुलजिम को सेल्फ डिफेंस का मिल सकता है, जितना फायदा उसे प्रासीक्यूशन की एवीडेंस (अभियोक्ता के साक्ष्य) का मिल सकता है वह उसे दिया जाता है । मुलजिम को प्रासीक्यूशन की एवीडेंस से ही अक्सर फायदा मिलता है, डिफेंस की एवीडेंस (प्रतिवादी के साक्ष्य) से भी फायदा मिलता है मगर बहुत कम मोकों पर । अदालत टोटैलिटी आफ सरकमस्टांसेज (समस्त परिस्थितियों) को देखकर ही मुलजिम को शक का फायदा देती है । तो जो मेरा सजेशन (सुझाव) है उससे किसी का नुकसान नहीं बल्कि एक तरह से पोजीशन (स्थिति) वाजेह हो जाती है । मैं ने इस चीज को दफा ४२५ दफा के साथ लागू नहीं किया है । मैं ने सिर्फ इसको वहां लागू किया है जहां कि जानवरों का सवाल है । अगर मैं इसको दफा ४२५ के साथ लागू करता तो यह कहा जा सकता था कि इसमें इनजस्टिस (अन्याय) होने का इमकान ह । जनाब इसकी दफा २ को मुलाहिजा फरमायें । मैं अदब से अर्ज करूंगा कि इस से उन जीवों को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा जिनको कि कानून ने पहले से ही प्रोटेक्शन दे रखा है । और लोग उन बेजबान जीवों के खिलाफ ज्यादा जुर्म नहीं कर सकेंगे जो कि सोसाइटी की इतनी सेवा करते हैं । इससे प्रासीक्यूशन का भार कुछ कम हो जायेगा । और मैं समझता हूं कि इसके लिये आनरेबल मिनिस्टर साहब मुझे मुबारक बाद देंगे क्योंकि मैं उनका ही काम कर रहा हूं और उनका भार कम कर रहा हूं । मैं नहीं जानता कि उनका क्या ऐटीट्यूड होगा ।

मैं में अदब से अर्ज करूंगा कि जो कुछ मैं ने अर्ज किया है वह किसी मेंटल रिजर्वेशन (मनो निर्बन्ध) के साथ अर्ज नहीं किया है । मैं बे अपने सारे कार्ड (पत्ते) टेबिल पर रख दिये हैं । इसमें किसी का नुकसान नहीं है । इसमें सिर्फ यह फायदा है कि जो इस तरह के आफेंडर्स (अपराधी) हैं वे जल्दी सजा पा सकेंगे ।

Mr. Deputy-Speaker : Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860, be taken into consideration."

Does the hon. Minister like to give his reaction now, or would he like to hear some speeches ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar) : There are only ten minutes left.

Shri Tek Chand (Ambala-Simla) : Mr. Deputy-Speaker, I rise to oppose the Bill, because, I find on analysis, it will be a negation of law and a negation of justice.

Now, I want you to examine it with a certain amount of care and scrutiny to which the provisions ought to have been subjected. I am surprised, coming from a criminal lawyer of very great repute, for whose learning and talents I have got nothing but the most genuine admiration, that he should have reversed by one stroke of his pen a well-known doctrine, the ABC, or the very elements of Criminal Law "*actus on sit reus nisi mens sit rea*" is something beyond my comprehension. No act is wrongful unless it is accompanied by a guilty mind or an evil mind. He says that if, while his driver is driving his car say at night, may be because of the contributory negligence of animals,

he happens to break the leg, may be of a goat or of a calf, then his driver is entitled to maximum imprisonment of five years. He will be presumed guilty. This is the proposition that my hon. Colleague puts forward for accepting before this House in all earnestness. He says that if he happens to drive his car, maybe himself, maybe through a driver, maybe otherwise, and if some harm is caused to an animal, not due to his negligence but through the contributory negligence of an animal, maybe a dog, maybe a Siamese cat, maybe an animal that you do not readily notice, under this draconic law that he proposes—even Draco will turn in his grave as to the severity of the matter—you will have to presume him to be guilty. It is not merely a discretionary but a mandatory presumption.

Mr. Deputy-Speaker: He has applied it only to 429 and not to dogs and cats.

Shri Tek Chand: No, Sir. Kindly read with me section 429. After the list of animals is exhausted....

Mr. Deputy-Speaker: "Fifty rupees" is there.

Shri Tek Chand: "Whatever may be the value thereof", it is said: "or any other animal of the value of Rs. 50". Today you cannot get a good dog for less than Rs. 50.

An Hon. Member: Rs. 200.

Shri Tek Chand: Therefore, my submission is that this sentence he imposes upon the negligent man, upon the man who has been rather careless, or upon an innocent man where an animal happens to be negligent.

Not only that. There is another novel proposition in this small Bill. Not only the maiming, killing or damaging of some one's animal by an individual becomes an offence according to him, but it is proposed to make an offence the maiming of an ownerless property. In the proviso he says: "that he was likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any person. Now, so far as the public as the owner of any property is concerned, all that I am aware of is the Government. There is no such thing—if I may be pardoned for going back to Roman Laws—as public property or what are called *res public* or *res nullius*, no-man's property or ownerless property. Ownerless property or no-man's property cannot be treated as public property. Public property is that which is owned by a public body. Therefore, every bird, every animal that stalks the land is a *res nullius* until it is owned either by a body which is public or by an individual. But, according to the learned author of this Bill, any quadruped injured by an accident or otherwise is covered under this law and five years is the dose that he prescribes. He says that. Normally, the law says, prove a person guilty. Bring his guilt home, the onus being on the prosecution. Then, of course, convict him and give him such a sentence which fits the enormity of his crime. But my learned friend says, 'No'. We start with the presumption that the man is guilty. We are not going to hear anything and we are not going to prove anything! Prosecution is not going to discharge the burden or the onus of proving the guilt, and guilt is presumed! A crime has been committed! Now, it is for that person to show that he is innocent. The entire doctrine of criminal jurisprudence is reversed by this. Everybody who damages an animal is presumed to be guilty and is worthy of a maximum punishment of five years. Not only that. He has been more kind to animals than to human beings. Suppose the same injury is done to a child. Take the same illustration of a car. A boy of 8 or 9 or 10 is run over and has his leg fractured or some injury is done to him. The driver will not be presumed to be guilty. There again, the law expects that if you run over a human being and thereby the person is maimed or crippled, the prosecution will prove that the accused person conducted himself in a manner which was deliberate or intentional and it amounted to culpable negligence. That is the worth of human life, and even according to the opinion of my learned friend, there is no such presumption. The words "shall presume" are not there. But in the case of animals, he says, "Well, we are guilty".

My fears are, if this Bill is taken to its extreme limit, I think all of us or at least most of us will be living under a presumption of guilt. I hope we will stop thinking on these lines so that we will not revolutionise the well-settled, traditional rules, principles and canons of criminal jurisprudence.

श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्दशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बिल का विरोध करता हूं । इसके विरोध में श्री टेक चन्द ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सही है । जानवरों के मुताल्लिक इस तरीके का एक खतरनाक कानून बनाना हमारे मुल्क के लिये मुनासिब नहीं है । अगर किसी बैल की या जानवर की टांग टूट गई तो अदालत यह मान लगी बिना किसी सबूत के कि उसने जुर्म किया है, इस तरह से किसी शख्स या उसके मालिक को गिल्टी प्रैज्यूम कर लेना बिना किसी सबूत के, यह बड़ा खतरनाक उसल है और फिर इसके साथ साथ यह जरूरी नहीं है कि वह जानवर किसी मालिक का हो, किसी का भी हो, कोई जानवर किसी जंगल में कहीं जा रहा हो और अगर वहां कोई दूसरा जानवर रास्ते में आ गया और उसकी कहीं टांग टूट गई तो वह जुर्म हो गया ।

Mr. Deputy-Speaker : I presume that, the hon. Member wants to continue his speech on the next occasion.

Shri R. D. Misra : I will speak on the next day.

Mr. Deputy-Speaker : The House stands adjourned, to meet again on Monday at 10.30 A.M.

5.30 P.M.

The Lok Sabha adjourned till Half Past Ten of the Clock on Monday, the 9th April, 1956.